न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – पीयुष समारिया, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–217/2022
GCMS No.- 2022/275

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
अमराराम पुत्र श्री रामनारायण जाति जाट निवासी डावोली मीठी तहसील डेगाना जिला नागौर।		जिला रसद अधिकारी, नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनिया।

निर्णय **दिनांक–** 15-11-2022

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा विभागीय प्रकरण संख्या 59/2019 राजस्थान सरकार बनाम श्री अमराराम उचित मूल्य दुकानदार डावोली मीठी प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2021 के विरूद्ध पेश की है। अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपील अपीलान्ट ताबेउज्र मिया दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मयाद प्रार्थना में किये गये कथनों को हूबहू दौहराते कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नही थी। हाल में गांव में मेरा प्राधिकार पत्र निरस्त करने की चर्चा सुनी, तब अपीलांट नागौर आया तथा नकलें प्राप्त की तो उसे जानकारी हुई कि उसके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है, जो जानकारी के दिवस से अन्दर मयाद होने का कथन करते हुए उक्त अपील की मयाद अवधि में छुट दी जाकर अपील को अन्दर मयाद सुमार कर अपील का गुणागुण पर निस्तारण करने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है। प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया है। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर न्यायहित में मेरिट पर सुनवाई कर गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया जाना उचित होने से अपीलान्ट का मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
3. वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि संक्षेप में अपीलाधीन अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध डावोली मीठी गाम के उपभोक्ताओं द्वारा डीलर को आवंटित राशन सामग्री वितरण में गंभीर अनियमितताऐं बरतने की शिकायत प्राप्त होने पर मूल शिकायत क्षेत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना को मौके पर जाकर दुकान के वितरण संबंधी तथ्यों की जांच हेतू निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी दिनांक 10.8.2019 के संलग्न मूल शिकायत प्रेषित कर निर्देशित किया गया। जांच अधिकारी दिनांक 10.8.2019 को रूबरू डीलर के मौके पर पहुंचकर दौराने जांच डीलर स्तर पर निम्न अनियमितताऐं बरतना पाया गया। पोश मशीन कोड संख्या 22740 में स्टॉक पोश मशीन मे दर्ज स्टॉक के अनुसार सही पाया गया। चीनी का स्टॉक 125

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

किलोग्राम भण्डार से आपूर्ति की गई किन्तु पोश मशीन के अपडेट नहीं हो पायी। पोश मशीन कोड नम्बर 22740 के केरोसीन आपूर्ति व वितरण की कार्यालय रिकार्ड एवं ऑनलाईन वितरण जांच करने पर पाया कि डीलर को माह अक्टूम्बर 2016 से अगस्त 2019 तक 20060 लीटर केरोसीन आपूर्ति किया गया तथा डीलर द्वारा उक्त अवधि में वक्त जांच तक 19600.5 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओ को वितरित किया। इस प्रकार वक्त जांच डीलर के पास भौतिक सत्यापन में 459.5 लीटर केरोसीन कम पाया गया। माह अगस्त 2019 के पेटे आपूर्ति किये गये गेहूँ की डीलर द्वारा पोश मशीन में अपडेट नहीं किये गये। उचित मूल्य दुकान के बाहर आवश्यक सूचनाओ का प्रदर्शन नहीं पाया गया। उचित मूल्य दुकान में साफ सफाई नहीं पायी, जांच के दौरान मौके पर सरंपच ग्राम पंचायत डावोली मीठी ने बताया कि अप्रार्थी डीलर समय पर राशन सामग्री वितरण नहीं करता एवं उपभोक्ताओ से अभद्र व्यवहार करता है क्षेत्रीत्र प्रवर्तन निरीक्षक जांच अधिकारी की उक्त विवेचनानुसार जांच रिपोर्ट दिनांक 10.08.2019 जो रूबरू डीलर एवं शिकायतकर्ता के मौके पर बनाई गई के अवलोकन से अप्रार्थी डीलर द्वारा उसको उपभोक्ताओं को वितरणार्थ आवंटित राशन सामग्री का उक्त विवेचनानुसार गबन किया जाना, लापरवाही बरतने एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लघंन किये जाने की प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताऐं बरतना पाये जाने पर अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 59/2019 दर्ज कर इस कार्यालय स्तर से आदेश क्रमांक 1255 दिनांक 11.10.2019 द्वारा डीलर को जारी प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया एवं अप्रार्थी डीलर को पत्रांक 1263 दिनांक 11.10.2019 द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी स्तर पर कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण जबाब पेश नहीं करने पर पत्रांक 98 दिनांक 18.01.2021 द्वारा अप्रार्थी को अन्तिम कारण बताओं नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा जारी किया गया। तत्पश्चात अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया किन्तु माननीय जिला रसद अधिकारी ने किसी प्रकार की साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही केवल मात्र कयास के आधार पर अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश जैर अपील पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर उक्त अपील पेश की गई है।

3(1)–रेस्पोडेंट ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया, इसलिये आदेश जैर अपील अपास्त होने योग्य है।

3(2)–मौका रिपोर्ट तैयार की गई है वह स्वयं रेस्पोडेंट एकतरफा रूप से तैयार की गई है ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट उक्त प्रकरण में न्यायिक मस्तिष्क का सही रूप से उपयोग लेने की स्थिति में ही नहीं थे क्योंकि, जब रेस्पोडेंट ही जांच करता था तो उसके वैसी स्थिति में उसके द्वारा उक्त अपीलांट के विरूद्ध निर्णय करने से पहले ही से मांईड सेट कर लिया था। इसलिये उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया ही दूषित हो गई। इसलिये रेस्पोडेंट के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है।

3(3)–रेस्पोडेंट ने मौका जांच फर्द को निर्णय का आधार बनाने में भी कानूनी त्रुटी की है क्योंकि, न तो उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट के सामने बनाई गई और न ही उक्त मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचना दी गई। बल्कि रेस्पोडेंट व उनके अधिनस्थ कर्मचारियों ने अपीलांट से राजनैतिक द्वेषता रखने वाले लोगों के सिखावें में आकर गलत रिपोर्ट तैयार की है। इसलिये आदेश जैर अपील निरस्त होने योग्य है।

3(4)–अपीलांट को नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट ने दिनांक 05.02.2021 को जबाब पेश कर साक्ष्य के लिए अवसर चाहा, किन्तु चूंकि उक्त जांच रिपोर्ट रेस्पोडेंट के द्वारा ही बनाई गई थी इसलिये उसने बिना सोच विचार किये ही पूर्व नियोजित निर्णय को अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही जल्दबाजी में दिनांक 09.03.2022 को पारित करने में कानूनी व वाकियाती त्रुटी की है।

3(5)–अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को कभी भी पुनः राशन सामग्री वितरण करने के लिये कोई नोटिस नहीं दिया, इसके अलावा एक तरफ तो रेस्पोडेंट अपीलांट को राशन सामग्री वितरण करने केलिए सूचना देना स्वयं मंजुर करता है तथा दुसरी तरफ उसकी कार्यप्रणाली को सही नहीं होना मानते हुए प्राधिकार पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित करते है। इस

कलक्टर, नागौर

प्रकार अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट होता है कि, अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की राशन सामग्री में अनियमितता नहीं पाई गई है। इसके अलावा जहाँ तक पॉश मशीन में इन्टरी का प्रश्न है इस संबंध में यहा यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पॉश मशीन इन्टनेंट के मार्फत चलती है तथा कई बार नेंटवर्क की समस्या होने से डाटा इन्टरी होने से रह जाते है जिसमें राशन वितरण की किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

3(6)–अपीलांट पर लगाये गये आरोपों का अपीलांट ने दिनांक 05.02.2021 को जबाब पेश कर दिया था। केरोसीन के संबंध में अपीलांट ने जबाब में उल्लेखित किया है कि जांच दल ने अपीलांट के पास उपलब्ध केरोसीन की कोई जांच नहीं की। जबकि स्टॉक रजिस्टर के अनुसार अपीलांट ने केरोसीन की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं पाई गई थी। माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र कयास के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण संख्या 69/19 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.22 जैर अपील अपास्त किया जावें।

4. प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि जिला रसद अधिकारी महोदय नागौर द्वारा अपने पत्र दिनांक 24.06.2019 को अपीलान्ट के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना से करवाई गई। उक्त संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना ने अपीलान्ट उचित मूल्य दुकान का मौके पर दिनांक 10.08.2019 को जॉच की गई। जॉच में मौके पर पोश मशीन के अनुसार 2.5 लीटर केरोसीन का स्टॉक अपीलान्ट के पास पाया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट को अक्टुबर 2016 से वक्त जॉच तक अर्थात 10.08.2019 तक 20060 लीटर केरोसीन की आपूर्ति की गई जो आपूर्ति की ऑनलाईन रिपोर्ट से साबित है। अपीलान्ट द्वारा पोश मशीन से वक्त जॉच तक 19600.5 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया। इस प्रकार 20060–19600.5=459.5 लीटर केरोसीन अपीलान्ट के पास वक्त जॉच स्टॉक में होना चाहिए था, जबकि अपीलान्ट के पास मौके पर वक्त जॉच 2.5 लीटर ही केरोसीन स्टॉक में पाया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट के पास 457 लीटर केरोसीन कम पाया गया एवं अपीलान्ट द्वारा कुल 457 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया जाना रिकार्ड से साबित है। अपीलान्ट का कथन कि वक्त जॉच उसके पास केरोसीन उपलब्ध था, परन्तु जॉच दल द्वारा जॉच में लिया नहीं। अपीलान्ट ने अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पस्तुत नहीं की है। अपीलान्ट ने अपने बचाव में उक्त कथन किया है, जो निराधार होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जबकि प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की मौके पर जॉच कर फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.08.2019 को तैयार की गई थी, जिसके अनुसार अपीलान्ट के पास वक्त जॉच मौके पर 2.5 लीटर ही केरोसीन स्टॉक में उपलब्ध होने का उल्लेख है एवं उक्त मौका फर्द पर अपीलान्ट एवं गवाह दुर्गाप्रसाद उचित मूल्य दुकानदार मांझी के हस्ताक्षर है, इसलिए भी अपीलान्ट का उक्त कथन निराधार होने का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर ने पत्र कमांक–676 दिनांक 24.06.2019 से प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना को अपीलान्ट के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जॉच करने के निर्देश दिये गये। उक्त संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना ने अपीलान्ट उचित मूल्य दुकान डाबोली मिठी की मौके पर दिनांक 10.08.2019 को जॉच की गई। जॉच में मौके पर पोश मशीन के अनुसार 2.5 लीटर केरोसीन का स्टॉक अपीलान्ट के पास पाया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट को अक्टुबर 2016 से वक्त जॉच तक 20060 लीटर केरोसीन की आपूर्ति की गई जो प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) द्वारा केरोसीन आपूर्ति के संबंध में प्रस्तुत ऑनलाईन रिपोर्ट से साबित है। अपीलान्ट द्वारा पोश मशीन से वक्त जॉच तक 19600.5 लीटर केरोसीन का वितरण किया गया। इस प्रकार 20060–19600.5=459.5 लीटर केरोसीन अपीलान्ट के पास वक्त जॉच स्टॉक में होना चाहिए था, परन्तु वक्त जॉच अपीलान्ट के पास मौके पर 2.5 लीटर ही केरोसीन स्टॉक में पाया गया।

कलक्टर, नागौर

इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पास 457 लीटर केरोसीन कम पाया गया एवं अपीलान्ट द्वारा कुल 457 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया जाना रिकार्ड से साबित है। अपीलान्ट का कथन कि वक्त जॉच उसके पास केरोसीन उपलब्ध था, परन्तु जॉच दल द्वारा जॉच में लिया नहीं। अपीलान्ट ने अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य पस्तुत नहीं की है। अपीलान्ट द्वारा उक्त कथन बाद में सोच–विचार कर अपने बचाव में किया जाना प्रतीत होता है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जबकि प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना द्वारा अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की मौके पर जॉच कर फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.08.2019 को तैयार की गई थी, जिसके अनुसार अपीलान्ट के पास वक्त जॉच मौके पर 2.5 लीटर ही केरोसीन स्टॉक में उपलब्ध होने का उल्लेख है एवं उक्त मौका फर्द पर अपीलान्ट एवं गवाह दुर्गाप्रसाद उचित मूल्य दुकानदार मांझी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।
7. निर्णय सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर